ग्राम पंचायत नंगल जरियाला, विकास खण्ड गगरेट ,जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.13 से 31.03.16

1. (क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नंगल जरियाला, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

1 श्रीमति रेखा रानी 1-4-2013 से 22-1-2016

2 श्री संतोष कुमारी 23-1-2016 से अद्यतन

सचिव:-

1 श्री अमरीक सिंह 1-4-2013 से 1-1-2015

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत नंगल जरियाला के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	पैरा-8	अनुदान उपयोग न करना	8.38
2	पैरा-9	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	1.82
3	पैरा-10	लिंक रोड घनारी से मोहल्ला हर्बलियाँ मोरू पंगा के निर्माण पर अधिक भुगतान	0.08
4	पैरा-11	निर्माण कार्य सामुदायिक भवन की ईंटे	0.03

		अधिक खरीदना	
5	पैरा-13	सोलर लाइट को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करना	0.38
6	पैरा-14	मूल्यांकन के बिना भुगतान करना	1.63

2. <u>वर्तमान अंकेक्षण</u>:-

ग्राम पंचायत नंगल जरियाला , विकास खण्ड गगरेट , जिला ऊना के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व जीवन कुमार , कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24/1/2017 से 30/1/2017 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	6/2013	3/2014
2014-15	1/2015	11/2014
2015-16	1/2016	9/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 <u>अंकेक्षण शुल्क</u>:-

ग्राम पंचायत नंगल जरियाला , विकास खण्ड गगरेट , जिला ऊना के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 29/2017 दिनांक 30-1-2017 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 <u>वितीय स्थिति</u>:-

ग्राम पंचायत नंगल जरियाला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत नंगल जरियाला के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	331173.00	162561.00	493734.00	49386.00	444348.00
2014-15	444348.00	160687.00	605035.00	161205.00	443830.00
2015-16	443830.00	112341.00	556171.00	258959.00	297212.00

(2) अनुदान :-ग्राम पंचायत नंगल जरियाला के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	607488.00	3562104.00	4169592.00	1937885.00	2231707.00
2014-15	2231707.00	2462050.00	4693757.00	3394525.00	1299232.00
2015-16	1299232.00	3086519.00	4385751.00	3845072.00	540679.00

5 **बैंक समाधान विवरणी :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत नंगल जरियाला के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों में ₹4910 का अंतर था।

1 दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वही खाता क पैरा 4(1) का अन्तशेष ₹297212

2 दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष ₹540679

योग **₹837891**

अन्तशेष का विवरण:-दिनांक 31-03-2016 को बैंकों का अंत शेष निम्नानुसार था।

क्र. संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	के.सी.सी.बी. दौलतपुर चौक	20014009792	**0**
2	के.सी.सी.बी. दौलतपुर चौक	20014011441	628145
3	के.सी.सी.बी. दौलतपुर चौक	50051414396	39365
4	के.सी.सी.बी. दौलतपुर चौक	50051414410	20470
5	के.सी.सी.बी. दौलतपुर चौक	50051414409	89441
6	एच डी एफ सी बैंक गगरेट	50100032765639	64642
		Total	**842063.00**
		Cash in hand	

	GENERAL CASH BOOK	738
	MNREGA	
	13th Finance	
	IAY	
	Grand Total	**842801.00**

अंतर ₹842801-₹837891 = ₹4910

उक्त अंतर का समाधान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण के दौरान ही तैयार कर निपटारा कर लिया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट "3"** में संलग्न है।

6 निर्धारित बजट प्राकलन तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

7 पंचायत राजस्व की वसूली:-

पंचायत सचिव नंगल जरियाला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2016 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹35195 वसूली हेतु शेष थी

1 गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	4725	20225	24950	21595	3355
2014-15	3355	31205	34560	28620	5940
2015-16	5940	34600	40540	5345	35195

(2) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न

करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में निय मानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 **<u>अनुदान ₹8.38 लाख का उपयोग न करना;-</u>**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹837891 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

9 **<u>प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹1.82 लाख का अधिक व्यय</u>**

ग्राम पंचायत नंगल जरियाला द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती के अनुसार SDP,SFC,VKVNY,DEPOSIT में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार ₹181650 ऋणात्मक दर्शाई गयी है। जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन SDP,SFC,VKVNY,DEPOSIT में अथवा किसी अन्य योजना से SDP,SFC,VKVNY,DEPOSIT का भुगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अवगत करवाएं।

1	SDP	150098
2	SFC	15524
3	VKVNY	16000
4	DEPOSIT	128
	योग	**181650**

10 **<u>लिंक रोड घनारी से मोहल्ला हर्बलियाँ मोरू पंगा के निर्माण पर ₹0.08 लाख का अधिक भुगतान</u>**:-

मापन पुस्तिकाओ तथा वर्क रजिस्टर की जाँच पाया गया कि लिंक रोड घनारी से मोहल्ला हर्बलियाँ मरू तक 820 cft मटेरिअल का अधिक क्रय किया करने के कारण ₹8200 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण इस प्रकार से है!

<u>Material as per work register</u>	**<u>Material consumed as per MB No. 4627 page no. 15-16</u>**

<u>**Cement**</u>	<u>**Aggregate with sand**</u>	<u>**Sand**</u>	<u>**Stone**</u>	<u>**Area and Ratio**</u>	<u>**Cement**</u>	<u>**Aggre gate**</u>	<u>**Sand**</u>
200 bags	40trip 4000cft	7 trip = 700 cft	4 trip = 400 cft	$17.5m^3$ 1:6:12	38.5 bags	550cft	278cft
				$73.03\ m^3$ 1:5:10	190 bags	2293cft	1159 cft
					228.5 bags	2843 cft	1437 cft

क्रय की गई मदें :--- (1) बजरी =4000 cft

(2) रेत = 700 cft

(3) पत्थर= 400 cft

योग = 5100 cft

मापन पुस्तिका के अनुसार प्रयोग की गयी मदें

(1)बजरी =2843 cft

(2)रेत = 1437 cft

योग = 4280 cft

फॉर्म 34 के अनुसार जारी की गयी निर्माण मदों तथा वास्तव में स्थल पर प्रयोग की गयी मदों की मात्रा में अंतर 5100-4280 = 820 Cft

इस प्रकार 820 cftनिर्माण कार्य की मदों के लिए ₹10 प्रति cfकी दर से ₹8200 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जाए।

11 <u>निर्माण कार्य सामुदायिक भवन ₹2501 की ईंटे अधिक खरीदना</u>

उपरोक्त कार्य की अंतिम Assessment को मापन पुस्तिका संख्या 6405 पृष्ठ संख्या 41 से 44 में दर्ज किया है! जाँच में पाया गया कि फार्म न.34 जो कि खंड अधिकारी कार्यालय में जमा किया गया निर्माण कार्य के लिए 1500 ईंटे खरीदी गई जबकि नियमानुसार स्थल पर लगाई गयी इंटों की मात्रा 1019 बनती है। इस प्रकार निर्माण कार्य के लिए 481(1500-1019) ईंटे अधिक खरीदी/जारी की गई तथा निर्माण कार्य के लिए ₹2501 (481x5.20) का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जाए।

Item No.	**Description**	**Quantity**	**Bricks to be consumed**
5	Half bricks work	$6.6\ m^2$	373
6	Half bricks work	$3.45\ m^{2`}$	195

7	Bricks work	0.95 m^3	451
		Total	**1019 bricks**

12 <u>सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:-</u>

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अ भाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

13 <u>सोलर लाइट को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करना</u>

ग्राम पंचायत द्वारा हिम उर्जा विभाग से सोलर लाइट खरीदी गई जिसका न तो मूल बिल अभिलेख में उपलब्ध था और न ही इनको भंडार रजिस्टर में दर्ज किया गया जिसके परिणामस्वरूप क्रय को वैध नहीं ठहराया जा सकता। अत: उक्त बारे नियमानुसार अवगत करवाया जाए अन्यथा ₹38234 की वसूली की जाए।

वा0 संख्या	मास	विवरण	राशि
56	11/2014	सोलर लाइट	19117
57	11/2014	सोलर लाइट	19117
		कुल योग	**38234**

14 <u>मूल्यांकन के बिना भुगतान करना:-</u>

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: एस एम् एस-17/2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की assessment के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट (2)** पर लगाये गये विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹163445 का भुगतान मूल्यांकन के

बिना किया गया । अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में मूल्यांकन के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

15 <u>मदों को निर्धारित इकाई में क्रय न करना</u>

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: पी सी एच-एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-7-2016 के अनुसार "ग्राम पंचायत रेत, बजरी, पथर, सीमेंट लकड़ी आदि के क्रय के संदर्भ में निर्धारित ईकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत, बजरी निर्धारित क्यूबिक फुट के अनुसार "परन्तु ग्राम पंचायत ने इन मदों का क्रय फेरे के रूप में किया गया न कि निर्धारित ईकाई के अनुसार जो कि दिशा निर्देशों की अवहेलना होने के अतिरिक्त किसी कार्य में प्रयोग की गयी इन मदों की मात्रा को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अत: इस बारे में नियमानुसार अवगत करें।

16 <u>मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना:-</u>

पंचायत नंगल जरियाला द्वारा लाखों रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्ट्रोल पर भुगतान किया गया परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्ट्रो ल को न सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया । अत: उक्त के अभाव में भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

17 <u>प्रत्यक्ष सत्यापन</u>:-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 **<u>लघु आपति विवरणिका:-</u>** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी-2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

19 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है|

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(V) 21/2017–खण्ड–1–2365–2368 दिनाँकः 25.04.2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत नंगल जरियाला, विकास खण्ड गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881